

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक 08.12.2024\***

**\*जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण\***

1. \*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 245 वाहनों का चालान किया गया।

2. \*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल 31 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 वीएनएस मे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. “मिशन शक्ति अभियान” के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।
4. \*पैदल गश्त अभियान-\*

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा धारा 34 पुलिस एक्ट मे 246 व्यक्तियों के विरुद्ध व 110 जी मे 00 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

5. पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में आगामी त्यौहारो के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद मे शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

6. विभिन्न थानों द्वारा की गयी सराहनीय कार्य-

\*थाना घुघली द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\* अभियुक्त रामगोविन्द गुप्ता पुत्र परमेश्वर निवासी बड़वा चमरनिया थाना घुघली जनपद महाराजगंज के पास से 28 अदद टेट्रा पैक देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0 सं0 471/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

\*थाना परसामलिक द्वारा की गयी सराहनीय कार्य-\* अभियुक्त अज्ञात तस्करों के द्वारा पिकप UP56T8898 से नेपाल राष्ट्र से रेहरा होते हुए भारत की सीमा में लाया जा रहा था पिकप चालक पुलिस पार्टी को देखते हुए पिकप व सूती बोरो को छोड़कर नेपाल राष्ट्र भाग गया। पिकप सहित सूती बोरो को बरामद कर थाना स्थानीय पर 00/2024 धारा 111 कस्टम अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

7. \*विवेचनाओं का निस्तारण-\* पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 13 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

8. \*जनपद में 07/08-12-2024 को विभिन्न अपराधों में कुल- 32 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\*